प्रेस नोट

दिनांक 14.08.2024

थाना कुरारा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पतारा में 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के 03 वांछित अभियुक्तगण आलाकत्ल व घटना में प्रयुक्त वाहन सहित गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 12.08.2024 को थाना कुरारा पुलिस को वादी श्री शिवदत्त प्रजापति पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर के द्वारा सूचना दी गई कि उनके छोटे भाई छोटेलाल प्रजापति पुत्र स्व0 सीताराम प्रजापति (उम्र करीब 40 वर्ष) निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर की गांव के ही 1. अतर सिंह पुत्र बाबूराम, 2. आकाश सिंह, 3. अमन सिंह पुत्रगण अतर सिंह से विवाद हो गया। विवाद के कारण उपरोक्त अतर सिंह, आकाश सिंह व अमन सिंह के द्वारा मिलकर लाठी डंडे से मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर तत्काल थाना कुरारा पुलिस मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो परिजनों द्वारा बताया गया कि मृतक अपनी बकरी चरा रहा था तथा उसकी बकरी गांव के ही अतर सिंह पुत्र बाबूसिंह के खेत में चले जाने के कारण विवाद हो गया। जिस पर उपरोक्त लोगो द्वारा लाठी-डण्डों से मारपीट कर हत्या कर दी गई और शव को अपने चार पहिया वाहन से लाकर गांव में फेक दिया। उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। थाना कुरारा पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। वादी मृतक के भाई शिवदत्त प्रजापति के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कुरारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 257/2024 धारा 103(1) , 3(5) , 352 , 351(3) बी0एन0एस0 नामजद उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, जनपद हमीरपुर के द्वारा कुशल निर्देशन में घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु 04 पुलिस टीमों (यथा- सर्विलांस , एस0ओ0जी0, व थाना स्तर से 02 टीम) का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित हत्या के नामजद वांछित अभियुक्तगण की विभिन्न सम्भावित स्थानों पर घटना के बाद से लगातार तलाश की जा रही थी।

आज दिनांक 14.08.2024 को पुलिस टीमों के द्वारा हत्या के वांछित अभियुक्तगण 1.अतर सिंह पुत्र बाबूराम (उम्र करीब 55 वर्ष) 2. आकाश उर्फ अक्कू पुत्र अतर सिंह (उम्र करीब 25 वर्ष) 3.अमन पुत्र अतर सिंह (उम्र करीब 23 वर्ष) समस्त निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करते हुए उनके पास से घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन व आलाकत्ल (लकड़ी का डण्डा) बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.अतर सिंह पुत्र बाबूराम (उम्र करीब 55 वर्ष)

2.आकाश उर्फ अक्कू पुत्र अतर सिंह (उम्र करीब 25 वर्ष) व

3.अमन पुत्र अतर सिंह (उम्र करीब 23 वर्ष) निवासीगण ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1.आलाकत्ल (लकड़ी का डण्डा)

2.चार पहिया वाहन (ओमनी)

पूछताछ विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण के द्वारा बताया गया कि मृतक उनके यहाँ खेत में बटाई का काम करता था, घटना के दिन मृतक की बकरी अभियुक्तगण की खेत में चले जाने के कारण विवाद हो गया था, हुए विवाद के कारण अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक 12.08.2024 को छोटेलाल प्रजापति (मृतक) की लाठी-डण्डों से पीटकर हत्या कर दी गई तथा उसके शव को अपने चार पहिया वाहन (ओमनी) से लाकर गांव में चौराहे पर फेंककर चले गये।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 योगेश कुमार तिवारी

2.का0 जितेन्द्र यादव

3.का0 ओमकरन

4.का0 प्रताप